ताजा मुद्दा

गूगल द्वारा किताबों की स्कैनिंग को लेकर विवाद

गूगल ने किताबों को स्कैन कर इंटरनेट पर डालने और किताबों को तलाशने की अपनी परियोजना गूगल प्रिंट के नाम से दिसंबर 2004 में शुरू की थी। उस समय इसके बारे में बड़ा सवाल उठा था कि इससे कॉपीराइट कानून का उल्लंघन तो नहीं होता है। अमेरिकी प्रकाशकों ने भी इस पर एतराज करने में देर नहीं लगाई। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकी यूनिवर्सिटी प्रेसेज ने मई 2005 में गूगल कंपनी को पत्र लिखकर आगाह किया कि उसकी इस योजना पर चिंता और गुस्सा किस कदर बढ़ता जा रहा है। संस्था ने स्पष्ट लिखा कि इससे कॉपीराइट कानून का बड़े स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है।

इसके एक महीने बाद ही एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन पब्लिशर्स ने इस बारे में कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसने गूगल कंपनी को लिखा कि वह एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा प्रकाशित कॉपीराइट पुस्तकों की स्कैनिंग कम से कम छह महीने के लिए रोक दे और इन आशंकाओं को दूर करे कि उसकी यह योजना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन तो नहीं है। इसके बाद अगस्त में गूगल ने घोषणा की कि वह तीन महीने तक किसी भी पुस्तक की स्कैनिंग नहीं करेगी। गूगल लाइब्रेरी प्राजेक्ट के सीनियर बिजनेस प्रॉडक्ट मैनेजर एडम स्मिथ ने इस घोषणा में कहा कि कोई भी कॉपीराइटधारक हमें बता सकता है कि लाइब्रेरी में उपलब्ध उसकी पुस्तकों में से वह किनकी स्कैनिंग नहीं चाहेंगे।

इस पेशकश से सभी प्रकाशक संतुष्ट नहीं हुए। सितंबर में न्यूयार्क के ऑथर्स गिल्ड ने न्यूयार्क की अमेरिकी जिला अदालत में गूगल के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। गिल्ड के अध्यक्ष निक टेलर ने अपनी याचिका में कहा कि कॉपीराइटधारक के अलावा गूगल या किसी और को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि प्रकाशित कॉपीराइट पुस्तकों को किस प्रकार और कौन कॉपी कर सकता है।

इसके बाद अक्टूबर में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन पब्लिशर्स ने अमेरिका की उसी अदालत में अपने पांच सदस्यों की ओर से गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये पांच सदस्य थे मैक्ग्राहिल कंपनी समूह, पियर्सन एजुकेशन, पेंग्विन ग्रुप यू एस ए, सिमोन एंड शस्टर और जान विली एंड संस। याचिका में अदालत से दरख्वास्त की गई कि वह इस बात की घोषणा करे कि कॉपीराइट पुस्तकें स्कैन करने पर गूगल कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करता है। याचिका में साथ ही यह भी आग्रह किया गया कि अदालत कॉपीराइटधारकों की अनुमति के बगैर गूगल को ऐसा करने से रोके और उसके लिये आदेश जारी करे। इन प्रकाशकों ने गूगल के सामने प्रस्ताव रखा था कि कॉपीराइट वाली पुस्तकों की पहचान करने के लिए वह आई एस बी एन यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर का इस्तेमाल करे और उन्हें स्कैन करने के लिए लेखकों और प्रकाशकों से अनुमति ले। वर्ष 1967 से हर पुस्तक को एक आई एस बी एन नंबर दिया जाता है जिससे उसके प्रकाशक का पता चलता है। लेकिन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन पब्लिशर्स के अनुसार गूगल ने इसे मानने से इनकार कर दिया और नवंबर महीने से प्रकाशित पुस्तकों की स्कैनिंग का सिलसिला फिर शुरू कर दिया है। कंपनी ने सबसे पहले 19वीं सदी के अमेरिकी इतिहास और साहित्य से संबंधित कृतियां ऑनलाइन रिलीज की हैं।

—दीपांजली काकाती